भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोकसभा

अतारां कत प्रश्न संख्या 1841

गुरुवार, दिनांक **2**8 जुलाई**,** 2016 को उत्तर देने हेतु

जैव-डीज़ल का उत्पादन

1841. श्री टी॰जी॰ वेंकटेश बाबूः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में जैव-डीज़ल की अनुमानित उत्पादन क्षमता कतनी है**;**

(ख) क्या देश में जैव-डीज़ल उत्पादन में कमी आई है**;**

(ग) यदि हां**,** तो इसके क्या कारण हैं**;**

(घ) मूल लागत**/**उपकर**/**कुल लागत सहित जैव-डीज़ल पर लगाए जाने वाले व भन्न उपकर कौन से हैं**;**

(ङ) आगामी तीन सालों के लये जैव-डीज़ल के उत्पादन के लए क्या लक्ष्य निर्धारित कये गये हैं**;** और

(च) क्या आने वाले वर्षों में जैव-डीज़ल के उत्पादन को और बढ़ाने का वचार है और यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;**

उत्तर

वद्युत**,** कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क), (ख) और (ग) : देश में जैव-डीज़ल उत्पादन की प्रति वर्ष लगभग 1.2 म लयन टन की संस्था पत क्षमता वद्यमान है । जून, 2016 तक तेल वपणन कंपनियों द्वारा डीजल के साथ मलाने के लए लगभग **1**.32 करोड़ लीटर जैव-डीज़ल (बी-100) का प्रापण कया गया है। जैव-डीज़ल के उत्पादन के मुख्य बाधा वृक्ष जनित तिलहनों का निय मत आधार पर अपर्याप्त उपलब्धता है ।

(घ) : भारत सरकार द्वारा जैव-डीज़ल पर कोई उपकर नहीं लगाया गया है । इसके अतिरिक्त वर्तमान में जैव-डीज़ल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूर्णतः छूट प्राप्त है ।

(ड.) : जैव-डीज़ल उत्पादों के लए कोई व शष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं कए गए हैं ।

(च) : भारत सरकार द्वारा देश में जैव ईंधनों के वकास के लए उठाए गए व भन्न कदमों में शा मल हैं : **(i)** जैव ईंधनों के संवर्धन और उपयोग हेतु वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति की घोषणा । वर्ष 2017 तक जैव डीजल सहित जैव ईंधनों के लए मश्रण का प्रतीकात्मक लक्ष्य 20% है; **(ii)** खाद्य एवं औद्यो गक उपयोगों के लए तेल निष्क्रषण हेतु व भन्न वृक्ष जनित तिलहनों का संवर्धन; **(iii)** निजी वनिर्माताओं द्वारा थोक उपभोक्ताओं को जैव-डीजल बेचने की अनुमति देना; और **(iv)** देश में जैव-डीजल के उत्पादन और उसकी उपलब्धता में वृ द्ध के व भन्न पहलुओं पर अनुसंधान और वकास हेतु कृ ष और कसान कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ग्रामीण वकास मंत्रालय तथा वज्ञान और प्रौद्यो गकी मंत्रालय से निरंतर सहायता ।

———